

क्रांक 2397/1/19

दिनांक 12/12/19

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय जिलाधिकारी पीलीभीत के पत्र संख्या-शून्य दिनांक-19.12.2018 द्वारा प्रबन्धक विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, माधोटांडा जनपद पीलीभीत के द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोर्ट ऑफ इण्डिया 2005 के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि विद्यालय का निर्माण कार्य Structure Design/Execution of work as per Structure Safety Requirement Planning Drawing इंजीनियर श्री राज गोयल, चार्टेड इंजीनियर, आवास विकास, सिविल लाईन, बरेली रजिस्ट्रेशन नम्बर एम-55505/8 एवं इंजीनियर रितुराज श्रीवास्तव, गौहनिया चौराहा, पीलीभीत के द्वारा उनकी देखरेख में भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोर्ट ऑफ इण्डिया 2005 के अनुरूप किया गया है, जिसके प्रमाण पत्र सन्दर्भित पत्र के साथ संकलित है एवं स्कूल प्रबन्धक द्वारा नोटराइज्ड प्रमाण पत्र भी इसी सन्दर्भ में दिया गया है। अतः विद्यालय भवन निर्माण एवं स्ट्रक्चर की पूर्ण जिम्मेदारी उपरोक्त प्रमाण पत्र देने वालो एवं विद्यालय प्रबन्धक की होगी।

विद्यालय के निरीक्षण पर प्रथम दृष्टया भवन सामान्यतः ठीक प्रतीत होता है। यदि भविष्य में विद्यालय द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अवर अभियन्ता,
प्रा.स्व. लो.नि.वि. पीलीभीत
पीलीभीत

सहायक अभियन्ता,
प्रा.स्व. लो.नि.वि. पीलीभीत
पीलीभीत


Principal

Vidya Niketan Public School
ulhar, Madhotanda, PBT-262122

Manager
Vidya Niketan Public School
ulhar, Madhotanda, PBT-262122